न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
उपस्थितः–सतेन्द्र कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

UPSP010047652026

दाण्डिक निगरानी संख्या–215/2026

1. सतपाल पुत्र सोढाल
2. जोनी पुत्र सतपाल
निवासीगण ग्राम बिलासपुर, थाना गोगोह, जिला सहारनपुर।

–निगरानीकर्तागण/द्वितीयपक्ष

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार ।
2– रामपाल सिंह वर्मा पुत्र करताराम निवासी ग्राम बिलासपुर थाना गंगोह, जिला सहारनपुर। हाल निवासी मकान नं0 83 एल्फा इन्टरनेशनल सिटी सैन्टर 26 करनाल (हरियाणा)

–उत्तरदातागण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण **सतपाल व जौनी** की तरफ से यह दाण्डिक निगरानी उप जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा **वाद संख्या–टी 202609600306694** रामपाल सिंह बनाम सतपाल आदि अन्तर्गत धारा 165 बी0एन0एस0एस0, थाना गंगोह जिला सहारनपुर में पारित आदेश दिनांकित 02.04.2026 से क्षुब्ध होकर योजित किया गया है। प्रश्नगत आदेश के माध्यम से विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा निगरानीकर्ता/द्वितीयपक्ष को विवादित भूमि खसरा नम्बर–655 रकबा 2.4970 हैक्टेयर के कब्जे के सम्बन्ध में अपना लिखित कथन/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा धारा 165 बी0एन0एस0 के अर्न्तगत विवादित भूमि को कुर्क करने का आदेश थानाध्यक्ष थाना गंगोह को निर्गत किया तथा थानाध्यक्ष थाना गंगोह को रिसीवर नियुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

2– निगरानीकर्तागण द्वारा संस्थित **निगरानी के आधार** निम्नवत् है किः–

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.04.2026 विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। प्रश्नगत आदेश अवैधानिक तथा तात्विक

अनियमितता से परिपूर्ण है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अवर न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का अवैध रूप से प्रयोग किया है। बिना किसी आपातिक स्थिति के प्रकट हुए एवं आपातिक स्थिति को सिद्ध करने के साक्ष्य के बिना ही अन्तरिम आदेश द्वारा विवादित सम्पत्ति की कुर्की का निर्देश दे दिया गया। प्रश्नगत सम्पत्ति खसरा नम्बर–655 स्थित ग्राम बिलासपुर पुलिस थाना गंगोह जिला सहारनपुर संयुक्त भूमिधरी सम्पत्ति है, जो संयुक्त रूप से ही राजस्व अभिलेखों में अंकित है। बिना विधिवत विभाजन के कब्जे के सम्बन्ध में सहहिस्सेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न होने की कोई सम्भावना नहीं है तथा धारा 164 व 165 बी0एन0एस0एस0 की शक्तियां संयुक्त अधिकार व अध्यासन की सम्पत्ति को कुर्क करने के लिये प्रयोग नहीं की जा सकती। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 655 के विभाजन के विषय में न्यायालय उप जिला अधिकारी नकुड़, जिला सहारनपुर में दिनांक 01.01.2026 से वाद संख्या–01/2026 सतपाल बनाम रणपाल आदि विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया था, जिस कारण दिनांक 30.03.2026 को प्रस्तुत की गयी चालानी आख्या स्वयं में साजशी व निगरानीकर्तागण को सम्पत्ति में उनके हक व हिस्से के प्रयोग को बाधित करते के उद्देश्य से प्रस्तुत करायी गयी है, जो मौके के विपरीत है। आलोच्य आदेश में जिस मुकदमा अपराध संख्या–154/2026 का उल्लेख किया गया है उसका विवाद स्थावर सम्पत्ति के कब्जे से नहीं है, इसलिए उसके आधार पर मामले को आपातिक अवधारित करके प्रश्नगत आदेश पारित करने में अवर न्यायालय ने विधिक त्रुटि कारित की है। प्रश्नगत आदेश की आड़ में निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति में बोई गयी व परवरिशकर्दा फसल गेहूं को जबरदस्ती व विधि विरूद्ध तरीके से काटकर खुर्द बुर्द कर दिया गया है तथा आगे भी सम्पत्ति का प्रयोग करने में विपक्षी द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांकित 02.04.2026 तार्किक व न्यायसंगत न होने के कारण निगरानी स्वीकार कर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.04.2026 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

3– निगरानीकर्तागण की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची–14क के माध्यम से न्यायालय उप जिलाधिकारी नकुड़ जिला सहारनपुर में सतपाल द्वारा रणपाल आदि के विरूद्ध योजित वाद अन्तर्गत धारा 116 उ0प्र0रा0स0 2006 बाबत भूमि ग्राम बिलासपुर परगना गंगोह, तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर के वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या–14क/2 लगायत 14क/4, वाद संख्या–01/2026 सतपाल बनाम रणपाल आदि अन्तर्गत धारा 116 उत्तर प्रदेश

राजस्व संहिता अधिनियम में उप जिलाधिकारी, नकुड़, सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 01.01.2026 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या–14क/5 एवं उक्त वाद में रामपाल सिंह की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या–14क/6 व 14क/7 दाखिल किये गये हैं।

4– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अवर न्यायालय की तलब शुदा मूल पत्रावली का विवादित आदेश के सन्दर्भ में परिशीलन किया।

5– विद्वान अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विपक्षी सं0 2/प्रथम पक्ष रामपाल सिंह की ओर से न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर में एक प्रार्थनापत्र, भूमि स्थित ग्राम बिलासपुर परगना गंगोह, तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर के सम्बन्ध में धारा 164, 165 बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत कार्यवाही किये जाने हेतु इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी द्वारा भूमि खसरा नम्बर 655 रकबई 2.4970 हैक्टेयर में कुल 1.1740 हैक्टेयर भूमि क्रमशः सतपाल व रणपाल पुत्रगण सोढल, मनोज कुमार पुत्र हरपाल व मैनपाल पुत्र सोढल से बजरिये बैनामा क्रय की है। उसी के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है, परन्तु सतपाल व रणपाल दबंग किस्म के व्यक्ति है और प्रार्थी की क्रय की गयी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं तथा इसी उद्देश्य से दंगा फिसाद पर उतारू है। जब प्रार्थी फसल बोने के लिये जुताई करने जाता है तो सतपाल व रणपाल ने लाठी डण्डे लेकर ट्रैक्टर को रोकना चाहा, मौके पर पुलिस आयी तो गम्भीर विवाद होने से बचा। मौके पर तनाव बना हुआ है, कोई भी गम्भीर घटना कभी भी हो सकती है। अतः न्यायहित में मौके पर शान्ति बनाये रखने के लिए खसरा नम्बर–655 पर धारा 164, 165 बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी रामपाल सिंह के उक्त प्रार्थनापत्र पर थाना गंगोह से आख्या तलब की गयी। थाना गंगोह से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रथम पक्ष रामपाल सिंह वर्मा एवं द्वितीय पक्ष सतपाल व जौनी के मध्य ग्राम बिलासपुर स्थित भूमि को लेकर विवाद व्याप्त होने एवं दोनों पक्षों में खसरा नम्बर– 655 रकबई 2.4970 हैक्टेयर भूमि के कब्जे को लेकर आपस में विवाद होने व शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा 126/135 बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही किये जाने एवं उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 154/2026 धारा 324(4),115(2),351(2),352,बी0एन0एस0 पंजीकृत होने तथा धारा 126/135 बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही के उपरान्त भी तनाव होने की आख्या के साथ

विवादित खसरा नम्बर 655 की भूमि के सम्बन्ध में धारा 164 बी0एन0एस0एस0 की कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी ।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 02.04.2026 को पुलिस थाना गंगोह की आख्या से सन्तुष्ट होते हुए, धारा 164(1) बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत उत्तरदाता संख्या–2/प्रथम पक्ष रामपाल सिंह वर्मा एवं निगरानीकर्तागण/द्वितीय पक्ष सतपाल एवं जोनी को प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर–655 रकबा 2.4970 हैक्टेयर स्थित ग्राम बिलासपुर परगना गंगोह तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर के कब्जे के सम्बन्ध में अपने–अपने लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 02.04.2026 को धारा 165 (1) बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत प्रश्नगत भूमि को कुर्क करने का आदेश थानाध्यक्ष, थाना गंगोह को निर्गत किया तथा थानाध्यक्ष थाना गंगोह को रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण/द्वितीय पक्ष की ओर से यह निगरानी योजित की गयी ।

6– निगरानीकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उन्हें धारा 164(1) बी0एन0एस0एस0 के उपरान्त आपत्ति/सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किये अवैधानिक तरीके से धारा 165(1) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत आदेश पारित कर दिया है। विद्वान अवर न्यायालय में ही प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर–655 के बंटवारे के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य वाद संख्या–01/2026 सतपाल बनाम रणपाल आदि विचाराधीन है तथा उक्त वाद में अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.2026 को प्रश्नगत भूमि पर पक्षकारों को यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया है। विधि का यह प्राविधान हे कि सभी पक्षो को सुनकर कार्यवाही की जाये परन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्तागण को सुने बिना ही प्रश्नगत आदेश पारित कर विधिक त्रुटि की गयी है। निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में लिए गये आधारो को दोहराते हुए आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध होने तथा निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश अपास्त करने की याचना की गयी है। अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी हैं:–

1. **राजकेश्वर बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य क्रिमिनल रिवीजन 1738/2013 निर्णीत दिनांक 19.04.2023**

7– उपरोक्त के विरूद्ध उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश सही एवं विधि अनुसार होने, जिसमें हस्तक्षेप

करने का कोई औचित्य किसी प्रकार का नहीं होने की याचना की गयी है।

8– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य 2012(3) जे.आई.सी.–772(एस.सी)** में यह उल्लिखित किया गया है कि–

पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहॉ पर–

1. जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी है, वह बिल्कुल विधि के विपरीत है,

2.विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और

3.बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिए गए है,

4.तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

5.न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया गया है।

उपरोक्त निर्णय विधि के प्रकाश में न्यायालय को यह देखना है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं ?

धारा 164 (1) बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत निम्न प्राविधान दिया गया हैः–

''जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य सूचना पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओ से सम्बद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशान्ति भंग होना सम्भाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारो का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से सम्बद्ध पक्षकारो से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा कि वे विर्निदिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे मे अपने–अपने दावो का लिखित कथन पेश करें ।''

धारा 165 (1) बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत निम्न प्राविधान किया गया हैः–

''यदि धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपातिक समझता है या यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारो में से किसी का धारा 164 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, या यदि वह अपना समाधान नही कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषयवस्तु पर था तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है, जब तक कोई सक्षम न्यायालय उसके कब्जे

का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारो के अधिकारो का अवधारण नही कर देता है।

परन्तु यदि ऐसे मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषयवस्तु के बारे में परिशान्ति भंग होने की कोइ सम्भाव्यता नहीं रही तो वह किसी समय भी कुर्की वापस ले सकता है।''

9– प्रस्तुत मामले में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस थाना गंगोह की आख्या से सन्तुष्ट होते हुए प्रश्नगत सम्पत्ति खसरा नम्बर–655 रकबा 2.4970 हैक्टेयर स्थित ग्राम बिलासपुर परगना गंगोह तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर में कब्जेदारी को लेकर शान्ति भंग होने का अन्देशा होने का विनिश्चय करते हुए धारा 164 (1) बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत उभयपक्षों को नोटिस जारी कर अपने–अपने कब्जे के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिनांक 02.04.2026 को पारित किया गया है तथा उसी दिनांक 02.04.2026 को ही धारा 165 (1) बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत प्रश्नगत सम्पत्ति को कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में भी आदेश पारित किया है। उक्त आदेश को जारी करते समय विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उन विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया जिनके आधार पर आपातिक दशा मानते हुए कुर्की के आदेश को जारी किया जाना आवश्यक था। इस सम्बन्ध में विद्वान अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली पर उपलब्ध आदेशपत्र दिनांक 02.04.2026 से स्पष्ट है कि इसमें धारा 164/165 बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है तथा दिनांक 17.04.2026 नियत की गयी है । जिसका तात्पर्य यह हुआ कि दिनांक 02.04.2026 को पत्रावली दिनांक 17.04.2026 के लिए उभयपक्षों को अपना–अपना लिखित अभिकथन रखने हेतु धारा 164 (1) बी0एन0एस0एस0 का नोटिस जारी किया गया, परन्तु इसी के साथ धारा 165 (1) बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत प्रश्नगत सम्पत्ति को कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किये जाने का भी आदेश जारी किया गया । जब एक बार को पक्षकार को अपना पक्ष रखने हेतु तिथि नियत की गयी तब उसी समय दूसरा आदेश धारा 165 (1) बी0एन0एस0एस0 के अर्न्तगत बिना किसी युक्ति–युक्त कारणों के जारी किया जाना उचित एवं सही प्रतीत नही होता है ।

10– इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण के पक्षकार सतपाल एवं रामपाल आदि, जो कि वादग्रस्त सम्पत्ति के सह खातेदार हैं, के मध्य प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला अधिकारी नकुड़ जिला सहारनपुर में विभाजन का वाद योजित किया गया है, जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 01.01.2026 के माध्यम से विवादित भूमि खसरा नम्बर–655 रकबा 2.4960 हैक्टेयर स्थित ग्राम बिलासपुर परगना गंगोह तहसील नकुड़, जिला

सहारनपुर पर उभयपक्षों को यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया है। जब प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.2026 को यथास्थिति का आदेश पारित किया जा चुका था तथा पत्रावली पर इस प्रकार का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है कि उक्त यथास्थिति के आदेश को किसी अन्य न्यायालय द्वारा वैकेट किया गया है। इस प्रकार जब प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जा चुका है तो उक्त सम्पत्ति में सम्बन्ध में दिनांक 02.04.2026 को कुर्की का आदेश किन परिस्थितियों में पारित किया गया है, इस सम्बन्ध में अवर न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया है, जबकि विद्वान अवर न्यायालय से उक्त सन्दर्भ में अभिमत व्यक्त करते हुए, आदेश पारित किया जाना अपेक्षित था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा न करके प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में कुर्की का आदेश पारित करके विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है।

11– उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रश्नगत आदेश में विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि होने के कारण उक्त आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। अतएव निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 02.04.2026 अपास्त करते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ अवर न्यायालय प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह निर्णय निगरानी में दिये गये सम्प्रेक्षणो के आलोक में, निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को पुनः सुनकर विधि सम्मत आदेश पारित करे।

आदेश की एक प्रति के साथ अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली अविलम्ब वापस प्रेषित की जाये।

(सतेन्द्र कुमार)
दिनांक 22.07.2026 **सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।**
I.D. UP-1891

आज यह निर्णय, आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

(सतेन्द्र कुमार)
दिनांक 22.07.2026 सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891